



Neutral Citation No - 2026:AHC:36083

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या - 2026 की 4303

राधा देवी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 10 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार श्रीवास्तव, देवेन्द्र सिंह
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : आज़ाद राय, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

- वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई एकमात्र प्रार्थना यह है कि प्रतिवादी संख्या 11 अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज को यह निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 38(4) के अन्तर्गत वाद संख्या 2258/2025 (राधा देवी बनाम सन्त भवन देवी एवं अन्य) में दाखिल अन्तरिम/स्थगन आवेदन को विहित अवधि के भीतर विनिर्णीत करें।
- याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 11 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता को तथा प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आज़ाद राय को सुना गया।
- आज पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, निजी प्रतिवादियों को सूचनाएँ जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।
- प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में तथा विवाद के गुणावगुण पर कोई मत व्यक्त किए बगैर, वर्तमान रिट याचिका यह निर्देशित करते हुए अंतिमता से निस्तारित की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 11 अर्थात् अपर आयुक्त (न्यायिक), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज उपर्युक्त आवेदन को विधि अनुसार कड़ाई से तथा शीघ्रातिशीघ्र तथा अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के प्रस्तुतीकरण की तिथि से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, विनिर्णीत करें, जब तक कि कोई विधिक व्याघात न हो।

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



स्वाती

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"